मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 67/2020 वादपत्र धारा 88, 89, 188, 209 आर.टी.एक्ट.

गणेशलाल पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा मृतक के बजाय :–

1/1 मुकेश पिता गणेशलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
1/2 नारायण पिता गणेशलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
1/3 प्रिती पिता गणेशलाल माली नि. अमीरामा हाल नि. बिनोता तह. निम्बाहेड़ा
1/4 दीपिका पिता गणेशलाल माली नि. अमीरामा हाल नि. साटोला तह. छोटीसादडी
1/5 राजू बाई पत्नी गणेशलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी

––वादीगण

बनाम

1– एलीराम पिता कालू डांगी नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
2– सुरेश पिता एलीराम डांगी नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
3– लालूराम पिता एलीराम डांगी नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
4– कैलाश बाई उर्फ उल्लास बाई पिता एलीराम डांगी नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
5– रोडी बाई पत्नी एलीराम डांगी नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
6– उंकारलाल पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
7– प्रभूलाल पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
8– कमला बाई पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
9– बगदी बाई पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
10– रूकमण बाई पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
11– भगवती बाई पत्नी मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
12– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री अनिल सोनावा तथा प्रतिवादीगण की ओर से Exparte पार्टी में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा अमीरामा की आराजी नं. 488 रकबा 0.0400 भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 से लगायत 11 के नाम पर की जाती है। तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 से लगायत 5 का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे....X.... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित....X.... को दी जावे।

यह आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:18:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/19 दिनांक 19/3/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 67/2020 ई.रे.

गणेशलाल पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा मृतक के बजाय :–
1/1 मुकेश पिता गणेशलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
1/2 नारायण पिता गणेशलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
1/3 प्रिती पिता गणेशलाल माली नि. अमीरामा हाल नि. बिनोता तह. निम्बाहेड़ा
1/4 दीपिका पिता गणेशलाल माली नि. अमीरामा हाल नि. साटोला तह. छोटीसादडी
1/5 राजू बाई पत्नी गणेशलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी

––**वादीगण**

बनाम

1– एलीराम पिता कालू डांगी नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
2– सुरेश पिता एलीराम डांगी नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
3– लालूराम पिता एलीराम डांगी नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
4– कैलाश बाई उर्फ उल्लास बाई पिता एलीराम डांगी नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
5– रोडी बाई पत्नी एलीराम डांगी नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
6– उंकारलाल पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
7– प्रभूलाल पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
8– कमला बाई पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
9– बगदी बाई पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
10– रूकमण बाई पिता मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
11– भगवती बाई पत्नी मोतीलाल माली नि. अमीरामा तह. बडीसादडी
12– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 188, 209 रा0टै0एक्ट</u>

// निर्णय // **दिनांक :– 30/01/2025**

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि खतोनी संख्या नई 31 की आराजी खसरा नं. 488 रकबा 0.0400 [illegible] बडीसादडी में स्थित है। उक्त आराजी के भू – प्रबंधक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार [illegible] आराजी नं. 389 रकबा 0.04 बिस्वा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 एलीराम, एवं बगदी[illegible] पिता कालू डांगी [illegible] खातेदार बगदीराम पिता कालू डांगी ने अपना दर्ज 1/2 हिस्से [illegible] मुतबन्ना भूरालाल ब्राहमण को बिकाव कर दी। एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 [illegible] का दर्ज 1/2 हिस्सा की भूमि थी उनको प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 24.02.2001 को बिल एवज् 10000/– रू अक्षरे दस हजार रूपया में रूबरू गवाहान् के समक्ष वादी के पिता मोती पिता भगा माली को विक्रय की। प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वयं ने विक्रय की राशि प्राप्त कर व्रिक्रय पत्र का विधिवत पंजीयन उप पंजीयक बडीसादडी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 24.0.2.2001 को वादी के पिता मोती पिता भगा माली के नाम पर पंजीबद्ध करवाया। वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजी का उपयोग–उपभोग वादी के पिता करते चले आ रहे थे। वादी के पिता मोती पिता भगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:18:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
बडीसादड़ी

माली का दिनांक 17.05.2011 को स्वर्गवास हो गया तभी से वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 से लगायत 11 मोती के विधिक वारिसान उवं उत्तराधिकारी होने से उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करते चले आ रहे है । वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में से 1/2 हिस्से की भूमि वादी के पिता विधिवत प्रक्रिया के जरिये प्रतिवादी क्रमांक 1 से खरीद की उस पर कब्जा प्राप्त किया किन्तु वादी के पिता अनपढ एवं वृद्ध थे जिससे वे उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम पर दर्ज नही करवा सके। उक्त भूमि विक्रेता प्रतिवादी क्रमांक 1 एलीराम पिता कालू डांगी के नाम पर थी जिससे प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने निजी फायदे के लिये अपने ही परिवार के सदस्यों प्रतिवादी क्रमांक 2 से लगायत 5 के साथा मिलीभगत करके पूर्व में विक्रय की गई भूमि को पुनः गैर कानूनी तरीके से हस्तान्तरण दान पत्र के जरिये फर्दन–फर्दन तरीके से इनके ही परिवार के सदस्यों को कर दिया। जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 से लगायत 5 को इसकी पूरी जानकारी थी की यह भूमि पूर्व में मोती पिता भगा माली को विक्रय कर दी उसके बावजूद प्रतिवादी क्रमांक 1 ने गैर कानूनी तरीके से हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध दान पत्र के जरिये पूर्व विक्रित भूमि का हस्तान्तरण किया जो निष्प्रभावी होकर अवैध एवं शून्य है। वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में भी वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 से लगायत 11 संयुक्त रूप से मौके पर मोती पिता भगा माली के समय से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। इनके अतिरिक्त इस भूमि पर किसी अन्य को कोई कब्जा नहीं है। वादी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी की घोषणा अपने एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 से लगायत 11 के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कराने का कानूनन अधिकारी है। वादी के पिता मोती पिता भगा माली वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 से सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्रय की एवं उसका भारतीय पंजीयन अधिनियम के अनुसार विधिवत पंजीयन करवाया। जिससे वक्त खरीद से उक्त भूमि के मालिक एवं स्वामी वादी के पिता हो गये। उक्त भूमि के सभी स्वत्व एवं अन्तरण संबंधी अधिकारी उनमें निहित हो गये थे। जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से की भूमि का अन्तरण विक्रय के माध्यम से करता है तो उसका उस भूमि में विक्रय के दिन से कोई स्वत्व एवं अधिकार नहीं रहता है। फिर भी प्रतिवादी क्रमांक 1 ने गैर कानूनी तरीके से पूर्व विक्रित भूमि का हस्तान्तरण इनके ही परिवार के सदस्यों को किया है जो अवैधानिक होकर शून्य प्रभावी है।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी नं. 1 से 5 की ओर से श्री रमेशचंद शर्मा अधिवक्ता ने पावर पेश किया । प्रतिवादी नं. 6 से 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । दिनांक 7.11.2024 को वकील प्रतिवादी ने हिदायत पैरवी नहीं करना जाहीर किया पत्रावली में वादी के वाद का खंडन नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में मुकेश, राजु, उंकारलाल, प्रभुलाल, बंशीलाल के शपथपत्र पेश हुये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी खाता सं. 31 की प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रदर्श–2A, असल विक्रय पत्र प्रदर्श–3, जिसकी फोटोकॉपी प्रदर्श–3 A, मोतीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–4A, प्रार्थना पत्र दिनांक 06.7.2020 प्रदर्श–5 A, जमाबंदी संवत 55 से 58 प्रदर्श–6 A, जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदशे–7 A, जमाबंदी संवत 2059–62 प्रदर्श–8 A है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी नं. 488 रकबा 0.0400 भूमि में से 1/2 हिस्से की घोषणा रजिस्टर्ड बिकावनामे के आधार [illegible] एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 से लगायत 11 के नाम पर कराई जाकर प्रतिवादी क्रमांक 2 से लगायत [illegible] राजस्व रिकोर्ड से विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान करने का तथा वादी का [illegible] बिक्री करने का [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:18:16 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली [illegible] वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन व चिंतन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 एलीराम द्वारा वाद ग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्सा मोती पिता भगा माली को दिनांक 24.02.2001 को बिकाव किया जिसकी पुष्टि रजिस्टर्ड बिकावनामा से होती है। तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा पूर्व में विक्रित भूमि का दान पत्र अन्य आराजी के साथ प्रतिवादी नं. 2 से लगायत 5 के नाम पर कर दिया जो जमाबंदी नकलो से साबित होता हैं । इसलिये पूर्व में विक्रित भूमि रजिस्टर्ड बिकावनामा, जमाबंदी नकलों एवं गवाहो के बयानो से पूर्णतया वादी

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

का वाद सही साबित होता है। इसलिये वाद वादी स्वीकार करना हम उचित समझते है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा अमीरामा की आराजी नं. 488 रकबा 0.0400 भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 से लगायत 11 के नाम पर की जाती है। तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 से लगायत 5 का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे। उक्त आशय का डिक्री पर्चा अलग से बनाया जावे । धारा 188 आर.टी.एक्ट की दाद वादी साबित करने में अफसल रहा इसलिये धारा 188 की दाद खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:18:16 IST
Reason: SelfAttested